पं.खुशीलाल शर्मा,शासकीय (स्वशासी) आयुर्वेद महाविद्यालय एवं संस्थान,
(साइन्स हिल्स, मैनिट के पीछे, कोलार–नेहरू नगर रोड, भोपाल 462 003)
Web: www.klsgaci.edu.in E.mail: principal@klsgaci.nic.in दूरभाष क्रं. –0755–2970310

(बायोमेडीकल वेस्ट के कलेक्शन एवं निष्पादन हेतु ई–निविदा प्रस्तुत करने के नियम निर्देश एवं शर्ते)

1 पं. खुशीलाल शर्मा शासकीय (स्वशासी) आयुर्वेद महाविद्यालय एवं संस्थान के 150 विस्तरीय चिकित्सालय से निकलने वाले **बायोमेडीकल वेस्ट के कलेक्शन एवं निष्पादन हेतु दरें (प्रति पलंग प्रति दिन के मान से) निधारिंत करने हेतु** ई–निविदा आंमत्रित की जाती है।

2 ई–निविदा प्रपत्र प्राप्त एवं प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 15.02.2022 को साय 05.00 बजे तक है। ई–तकनीकी निविदा महाविद्यालय में दिनांक 17.02.2022.को दोपहर 02.00 बजे mptender.gov.in से डाउनलोड की जावेगी।

3 ई–निविदा दस्तावेज हस्तांतरणीय नहीं है।

4 इच्छुक ई–निविदाकर्ता ऑनलाइन mptender.gov.in से ई–निविदा राशि रू. 1500/– का भुगतान कर ई–निविदा प्राप्त कर सकते है, mptender.gov.in पर तकनीकी एवं वित्तीय निविदा पृथक–पृथक आनलाइन सबमिट की जाना है ।

5 ई.एम.डी. राशि रूपये 50000/– (रूपये पचास हजार मात्र) जिसे ई–पेमेन्ट के माध्यम से mptender.gov.in पर tender सबमिट करते समय पेमेन्ट करना होगा। ई.एम.डी. राशि सफल निविदाकार की अनुबध होने पर नियमानुसार वापस की जावेगी ,शेष निविदाकारों की ई.एम. डी.राशि mptender.gov.in के माध्यम से वापस लौटा दी जावेगी । सफल निविदाकार को निष्पादन प्रतिभूति राशि (अनुबध राशि के 5 से 10 प्रतिशत तक) बैक ड्राफ्ट के माध्यम से संस्थान में जमा करना होगा निष्पादन प्रतिभूति राशि बिना ब्याज के अनुबध समाप्त होने पर वापस लौटा दी जावेगी।

7 निविदाकार फर्म के पास **बायोमेडीकल वेस्ट के कलेशन एवं निष्पादन हेतु** म0प्र0 पाल्यूशन कन्ट्रोल वोर्ड द्वारा जारी जीवित लायसेंस होना अनिवार्य है । जिसकी प्रति तकनीकी निविदा के साथ संलग्न करना आवश्यक होगा।

8 संस्थान चिकित्सालय से निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थो के भस्मीकरण का कार्य म0प्र0 पाल्यूशन कान्ट्रोल वोर्ड द्वारा तय मानको के अनुसार निधारिंत प्रकिया के अध्यधीन अधिकृत अधिकारी/कर्मचारी से कराया जाना होगा ।

9 संस्थान चिकित्सालय से निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थो को सफल निविदाकार स्वंय के परिवहन से निश्चित स्थान एवं समय पर प्रतिदिन प्राप्त करेगा ।

10 निविदाकार फर्म के पास संबधित कार्य का जीवित गुमास्ता होना आवश्यक है, जिसे तकनीकी निविदा से सांथ संलग्न करना अनिवार्य होगा ।

11 निविदाकर्ता फर्म का वित्तीय वर्ष 2020—21 का टर्न ओवर न्यूनतम रुपये 05 लाख होना आवश्यक है, जिसके साक्ष्य के रुप में वित्तीय वर्ष 2020—21 की आयकर विवरणी की प्रति बैलेस शीट,लाभ—हानि पत्रक (चाटेर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा प्रमाणित) निविदा के दस्तावेजो के साथ अपलोड करना आवश्यक है । साथ ही वित्तीय वर्ष 2019—20 की आयकर विवरणी भी निविदा के अभिलेखों के साथ संलग्न करना अनिवार्य है ।

12 GST पंजीयन पत्र की छायाप्रति तकनीकी निविदा के दस्तावेजो के साथ अपलोड करना आवश्यक है ।

13 पैन नंबर की छायाप्रति तकनीकी निविदा के दस्तावेजो के साथ अपलोड करना आवश्यक है।

.14 तकनीकी निविदा के परीक्षण मे सफल निविदाकारो की ही वित्तीय निविदाये खोली जावेगी । वित्तीय निविदा अनुसार न्यूनतम कलेक्शन दर आफर करने वाले निविदाकार को **बायोमेडीकल वेस्ट के कलेक्शन एवं निष्पादन का कार्य** निधार्रित शर्तो के अधीन सौपा जावेगा ।

15. सफल निविदाकर्ता को म0प्र0स्टांप अधिनियम के नियमों के अनुसार निधार्रित राशि के नान ज्युडीशियल स्टांप पर अनुबंध करना होगा ।

16 निविदा /अनुबध कार्य आदेश तिथि से (05)पांच वर्ष के लिए होगा। जो कि प्रतिवर्ष कार्य संतोषजनक होने पर दोनों पक्षों की सहमति से निरंतर किया जावेगा । कार्य संतोषजनक न होने व निविदा की शर्तो का पालन न करने की स्थिति में समय से पूर्व भी अनुबंध निरस्त किया जा सकेगा।

17. निविदाकर्ता को **बायोमेडीकल वेस्ट के कलेक्शन एवं निष्पादन हेतु राशि (प्रति पलंग प्रति दिन के मान से) केवल ई—वित्तीय निविदा की एक्सल शीट में शब्दों एवं अंको में अंकित करना है** । शब्दों एवं अंको की राशि में अंतर की स्थिति में शब्दों में अंकित राशि को मान्य किया जावेगा ।

18. सफल निविदाकर्ता द्वारा कार्यादेश का कुछ भाग या पूर्ण भाग अन्य किसी ठेकेदार/व्यक्ति को नहीं सौंपेगा। यदि किसी निविदाकर्ता द्वारा किसी अन्य फर्म/व्यक्ति को कार्य सौंपता है या कार्य कराता पाया जाता है तो उसका अनुबंध तत्काल प्रभाव से निरस्त कर निष्पादन प्रतिभूति राशि राजसात की जावेगी एवं संबंधित फर्म को Black Listed किया जायेगा, जिसमें किसी भी तरह का वाद विवाद नहीं किया जावेगा तथा एल—02 निविदाकर्ता को कार्य आदेश दिया जावेगा।

19. डिफाल्टर फर्म (ताप्पर्य वह फर्म जिसे अनुबंध शर्तो के उल्लंधन के कारण अनुबंध अवधि के पूर्व समाप्त किया गया हो) आगामी निविदा प्रक्रिया मे भाग नहीं ले सकेगी।

20. सफल निविदाकार फर्म को संस्थान द्वारा समय—समय पर जारी आदेशो/निर्देशों का पालन अनिवार्य रुप से करना होगा ।

21. अनुबध ,पंजीयन ,स्टांप पेपर आदि व्ययो का वहन निविदाकर्ता फर्म द्वारा किया जावेगा ।

22. निविदाकर्ता को प्राप्त होने वाली आय पर टैक्स,सरचार्ज,सेवाकर आदि का भुगतान स्वयं निविदाकर्ता फर्म को करना होगा ।

23. निविदाकार फर्म किसी शासकीय /अशासकीय/अर्धशासकीय संस्था द्वारा ब्लैक लिस्टेड नही होना चाहिये इस हेतु शपथ पत्र राशि रु 100.00(एक सौ मात्र)के नान ज्युडीशियल स्टांप पर नोटराइज कराकर तकनीकी निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा ।

24. किसी भी निविदा की समयावधि /स्थान /समय मे परिवर्तन करना /निविदा को स्वीकृत करने एवं अस्वीकृत करने का अधिकार प्रधानाचार्य एवं मुख्यकार्यपालन अधिकारी पं. खुशीलाल शर्मा शासकीय (स्वशासी) आयुर्वेद महाविद्यालय एवं संस्थान भोपाल को होगा ।

25. तकनीकी निविदा में अपलोड समस्त दस्तावेजो की स्व हस्ताक्षरित प्रति तकनीकी निविदा खोले जाने की दिनांक को निधार्रित समय पर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा ।

26. पं. खुशीलाल शर्मा शासकीय (स्वशासी) आयुर्वेद महाविद्यालय एवं संस्थान मे वर्तमान में 150 विस्तरीय चिकित्सालय संचालित है। अनुबध अवधि में चिकित्सालय में शैययाओं की संख्या में बृद्दि होने पर उक्त कार्य हेतु प्रथक से आदेश जारी किये जावेगें ।

27. संलग्न चेक लिस्ट अनुसार दस्तावेजो को तकनीकी निविदा के साथ अपलोड करना आवश्यक है चेक लिस्ट के सरल क्र–01 से 07 तक के अभिलेखों के आधार पर तकनीकी निविदा का परीक्षण किया जावेगा । इन्ही अभिलेखों के आधार पर तकनीकी निविदा मान्य/अमान्य की जायेगी इनके अतिरिक्त किसी अन्य अभिलेखों को विचार क्षेत्र में नहीं लिया जावेगा ।

किसी भी प्रकार के विवाद हेतु न्याय क्षेत्र भोपाल म०प्र० होगा।

सूचना–किसी भी प्रकार के सशोधन की सूचना संस्थान की वेवसाइट **Web: www.klsgaci.edu.in** पर ही प्रदर्शित किये जायेगें । अतः सलाह दी जाती है कि संस्थान की वेवसाइट पर नियमित रुप से विजिट करते रहें ।

प्रधानाचार्य एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी
पं. खुशीलाल शर्मा शासकीय आयुर्वेद
महाविद्यालय एवं संस्थान भोपाल

पं.खुशीलाल शर्मा शासकीय(स्वशासी)आयुर्वेद महाविद्यालय एवं संस्थान भोपाल

(बायोमेडीकल वेस्ट के कलेक्शन एवं निष्पादन हेतु तकनीकी ई–निविदा का प्रपत्र –01)

1. निविदाकर्ता फर्म का नाम——————————————————————

2. फर्म के मालिक का नाम————————————— पिता का नाम——————————

3 वर्तमान निवास का पता———————————————————————

4 दूरभाष/मोबाईल नम्बर—————————————————————

5 GSTIN NO.————————————————————————————

6 जीवित गुमास्ता नं...दिनांक ....

7. पैन कार्ड न..

8 ई.एम.डी. राशि अंको में..................................शब्दो में————————————डी.डी.क ....

दिनांक.......................बैक का नाम...

(ई.एम.डी.राशि ई–प्रिटेड प्रति तकनीकी निविदा के दस्तावेजो के साथ अपलोड करना होगा)

9 निविदाकर्ता फर्म का वित्तीय वर्ष 2020–21 का टर्न ओवर न्यूनतम रुपये 05 लाख होना आवश्यक है जिसके साक्ष्य के रुप में वित्तीय वर्ष 2020–21 की आयकर विवरणी की प्रति बैलेस शीट,लाभ–हानि पत्रक (चाटेर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा प्रमाणित) तकनीकी निविदा के दस्तावेजो के साथ अपलोड करना आवश्यक है साथ ही वित्तीय वर्ष 2019–20 की आयकर विवरणी भी निविदा के अभिलेखों के साथ संलग्न करना अनिवार्य है संलग्न हॉ/नही (✔चिन्हित करें)

10 जीवित गुमास्ता संबधित कार्य का होना अनिवार्य होगा । जिसे तकनीकी निविदा के दस्तावेजो के साथ अपलोड करना आवश्यक है । संलग्न हॉ/नहीं (✔चिन्हित करें)

11. निविदाकार फर्म के पास **बायोमेडीकल वेस्ट के कलेक्शन एवं निष्पादन हेतु** म0प्र0 पाल्यूशन कन्ट्रोल वोर्ड द्वारा जारी जीवित लायसेंस होना अनिवार्य है । जिसकी प्रति तकनीकी निविदा के साथ संलग्न करना आवश्यक होगा। संलग्न हॉ/नहीं (✔चिन्हित करें)

12. निविदाकार फर्म किसी शासकीय /अशासकीय/अर्धशासकीय संस्था द्वारा ब्लैक लिस्ट नही होना चाहिऐ इस हेतु शपथ पत्र राशि रु 100.00 एक सौ मात्र के नान ज्युडीशियल स्टांप पर नोटराइज कराकर तकनीकी निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा । संलग्न हॉ/नहीं (✔चिन्हित करें)

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर

निविदाकर्ता का नाम————————————

खुशीलाल शर्मा शासकीय(स्वशासी)आयुर्वेद महाविद्यालय एवं संस्थान भोपाल

(बायोमेडीकल वेस्ट के कलेक्शन एवं निष्पादन हेतु वित्तीय ई–निविदा का प्रपत्र –02)

बायोमेडीकल वेस्ट के कलेक्शन एवं निष्पादन हेतु दर प्रति पलंग प्रति दिनः–

राशि अको में....................................शब्दों में...............................

नोट :– उक्त प्रपत्र प्रारुप मात्र है इस प्रपत्र के अनुसार राशि को ई–वित्तीय निविदा ऑनलाइन mptender.gov.in की एक्सल शीट BBQ मे ही दर्ज करना है ।

//चैक–लिस्ट //

उपरोक्त वर्णित नियम शर्तो अनुसार निम्न दस्तावेजो को तकनीकी निविदा प्रपत्र –01 अनुसार ऑनलाइन mptender.gov.in पर सबमिट करते समय आवश्यक रुप से अपलोड किया जाना है :–

क	दस्तावेज का नाम	संलग्न हॉ/नहीं
01	ई.एम.डी.राशि की ई–प्रिटेड प्रति	
02	संबधित कार्य का जीवित गुमास्ता की प्रति	
03	निविदाकर्ता फर्म का वित्तीय वर्ष 2020–21 का टर्न ओवर न्यूनतम रुपये 05 लाख होना आवश्यक है जिसके साक्ष्य के रुप में वित्तीय वर्ष 2020–21 की आयकर विवरणी की प्रतिबैलेस शीट,लाभ–हानि पत्रक (चाटेर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा प्रमाणित) की प्रति ,साथ ही वित्तीय वर्ष 2019–20 की आयकर विवरणी भी निविदा के अभिलेखों के साथ संलग्न करना अनिवार्य है	
04	जी.एस.टी.पंजीयन पत्र की प्रति	
05	पैन नम्बर की प्रति	
06	निविदाकार फर्म किसी शासकीय /अशासकीय/अर्धशासकीय संस्था द्वारा ब्लैक लिस्टेड नही होना चाहिऐ इस हेतु शपथ पत्र राशि रु 100.00 एक सौ मात्र के नान ज्युडीशियल स्टांप पर नोटराइज शपथ पत्र की प्रति	
07	निविदाकार फर्म के पास **बायोमेडीकल वेस्ट के कलेक्शन एवं निष्पादन हेतु** म0प्र0 पाल्यूशन कन्ट्रोल वोर्ड द्वारा जारी जीवित लायसेंस की प्रति ।	

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर

निविदाकर्ता का नाम————————

मोबाइल नं0

नोट :–चैक लिस्ट के सरल क्र–01 से 07 तक के अभिलेखों के आधार पर ही तकनीकी निविदा का विश्लेषण किया जावेगा इन्ही अभिलेखों के आधार पर तकनीकी निविदा मान्य/अमान्य की जायेगी इनके अतिरिक्त किन्ही अन्य अभिलेखों को विचार क्षेत्र में नहीं लिया जावेगा ।